मर्ड, 2007 MAY, 2007

बीमा सर्वेक्षकों के लिए परीक्षा मरीन पोतकाय

EXAMINATION FOR INSURANCE SURVEYORS MARINE HULL

ममय : 3 घंटे 1 Time: 3 Hours किल अंक : 100

[Total Marks: 100

किन्हीं आठ प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रथम प्रश्न के 16 अंक हैं परन्तु यह अनिवार्य नहीं। शेष सभी प्रश्नों के लिए प्रत्येक 12 अंक हैं।

Answer eight Questions only. Question one carries 16 Marks but this is not compulsory. All other questions carry 12 marks each. Marks एक मछलीमार नौका को दुर्घटनाग्रस्त होने से गंभीर क्षति पहुंची । नौका को इंस्टिट्यूट फिशिंग वेसल्स क्लॉज़, 20.7.87 के अंतर्गत बीमित किया गया है । इस स्थिति से निपटने की प्रक्रिया को म्पष्ट कीजिए । A fishing vessel has met with a casualty and has sustained serious damage. 16 The vessel is insured under Institute Fishing Vessels Clause, 20.7.87. Explain the procedure to be followed to deal with the situation. (प्रत्येक के 3 अंक) कारण देते हुए बताइए कि निम्नलिखित कथन सही है या गलत :

अ) किसी त्र्यक्ति द्वारा पोत को दुर्मावनाजन्य तरीके से पहुँचायी गयी क्षति को इंस्टिट्यूट टाइम क्लाजेज - इल्स, 1.10.83 के अंतर्गत संरक्षित किया जाता है।

आई टी सी - हल्स के अंतर्गत पोतकाय बीमाकर्ता की देयता पॉलिसी अवधि के अंतर्गत सभी दावों के लिए कुल बीमा राशि तक सीमित रहती है ।

आई टी सी - हल्स की कटौतीयोग्य क्लॉज़ सम्पूर्ण हानि के दावों पर भी लागू होती है - चाहे वह पोत की वास्तविक हानि हो या प्रलक्षित ।

द) पेंदा अवरोध के बाद पुन: जलावतरण कार्य के दौरान पोत के टेल शाफ्ट की क्षति, सामान्य क्षति में स्वीकार्य नहीं होता है ।

Giving reasons for your answers, state whether the following statements are true or false:

Damage to ship caused by any person acting maliciously is covered under Institute Time Clauses - Hulls, 1.10.83.

Liability of hull underwriter under ITC-Hulls is limited to the sum b) insured in respect of all claims during the policy period.

12

- The Deductible Clause of ITC-Hulls applies also to total loss claims whether actual or constructive of the vessel.
- d) Damage to vessel's tail shaft sustained during refloating operations following a stranding, will not be allowed in general average.
- 3. ''पोतकाय बीमाकर्ता के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह होती है कि बीमा हेतु प्रस्तावित पोत का पूल्य क्या है।'' उपगत हो सकने वाले दावों के संदर्भ में इस कथन पर टिप्पणी करें।
- 3. "Of prime importance to the hull underwriter is the value of the vessel proposed for insurance." Comment on this statement with reference to claims that may arise.
- 4. इंस्टिट्यूट टाइम क्लॉजेज़ फ्राइट के अंतर्गत ढुलाई भाड़े की सम्पूर्ण हानि तथा आंशिक हानि के लिए किस प्रकार क्षतिपूर्ति प्रदान की जाती है ?
- 4. Under Institute Time Clauses Freight, how is indemnity for total loss and partial loss of freight calculated?
- छिपे हुए दोष के कारण एक जेनरेटर बॉटम ऐंड बियरिंग में फ्रैक्चर हो गया तथा लाइनर, सिलिंडर हेड और पिस्टन को क्षति पहुँची । इनके प्रतिस्थापन की लागत निकानसार थी :

बियरिंग	£ 5,000
लाइनर	£ 4,000
सिलिंडर हेड़	£ 3,000
पिस्टन	£ 6,000
	£ 18,000

पोत को इंस्टिट्यूट टाइम क्लॉजेज़ - हल्स 1.10.83 के अंतर्गत £ 1,000,000 के मूल्यांकन पर बीमित किया गया है तथा पॉलिसी व्यवकलनीय £ 2,000 है ।

- अ) पॉलिसी के अंतर्गत वसूल किया जानेवाला दावा क्या होगा ?
- अगर पॉलिसी में इंस्टिट्यूट एडिशनल पेरिल क्लॉज़ शामिल होती तो बीमा के अंतर्गत क्या राशि वसूल की जा सकती थी ?
- 5. A generator bottom end bearing fractured as the result of a latent defect therein, and damaged a liner, cylinder head and piston. The cost of replacement was as under:

£ 5,000
£ 4,000
£ 3,000
£ 6,000
£ 18,000

The vessel was insured under Institute Time Clauses - Hulls, 1.10.83 on a valuation of £ 1,000,000 with a policy deductible of £ 2,000.

- a) What would be the claim recoverable under the policy?
- b) If the policy had contained the Institute Additional Perils Ciause, what amount would be recoverable under the insurance?

6.	पोतकाय दावों के आंकलन में ड्राई - डॉकिंग खर्चों से कैसे निपटा जाता है ?	12
6.	How are dry-docking expenses treated in the assessment of hull claims?	12

- 7. इन्स्टिट्यूट टाइम क्लॉजेज़ हल्स, 1.10.83 के "पेरिल्स" क्लॉज़ के अंतर्गत संरक्षित आपदाओं 12 को सुचीबध्द कीजिए ।
- 7. List the perils covered under the "Perils" Clause of Institute Time Clauses 12 Hulls, 1.10.83.

(प्रत्येक के 6 अंक) एम निम्नलिखित हेत क्या

- 8. आई टी सी हल्स, 1.10.83 के अंतर्गत पोतकाय बीमाकर्ताओं द्वारा निम्नलिखित हेतु क्या क्षतिपूर्ति प्रदान को जाती है ?
 - अ) पोतकाय और मशीनरी को आंशिक क्षति
 - ब) पात की मरम्मतरहित क्षति
- 8. Under ITC-Hulls, 1.10.83 what indemnity is provided by hull underwriters 6 each for?
 - a) partial damage to hull and machinery
 - b) unrepaired damage of the vessel?
- 9. निम्नलिखित के कार्यों का उल्लेख कीजिए:

(प्रत्येक के 6 अंक)

- अ) लॉयड्स एजेन्ट्स
- ब) पोत वर्गीकरण सोसायटियाँ

9. Describe the functions of the following: 6 each
a) Lloyd's Agents
b) Ship Classification Societies.

10. निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए: (प्रत्येक के 6 अंक)
अ) पोत की नरणयोग्यता की वारण्टी।
ब) सामान्य बीमा क्षति हेतु पोत का अंशदान मूल्य।

10. Write short notes on the following: 6 each
a) Warranty of seaworthinees of ship.
b) Contributory value of ship for general average.

---- THE END ----